राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. 15(3)डीओपी/ए-II/2013/पार्ट जयपुर, दिनांक : 3.07.2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के कीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति की भर्ती को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखि

त नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

2. **व्याप्ति.-** राज्य की विभिन्न सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले किन्हीं सेवा नियमों में या ऐसे नियमों में, जो इसके पश्चात् विरचित किये जायें, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान के कीड़ा पदक विजेता इन नियमों से संलग्न अनुसूची I, II और III में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. **कीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति के लिए कसौटी और रीति.-** (1) कीड़ा पदक विजेताओं की नियुक्ति निम्नलिखित कसौटी के अनुसार की जायेगी:-

(i) **प्रवर्ग क**

(क) ओलम्पिक खेलों के पदक विजेताओं,

(ख) एशियन खेलों (एशियाड)/कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल) खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं

पर अनुसूची I में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

(ii) **प्रवर्ग ख**

(क) एशियन खेलों (एशियाड)/कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल) खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेताओं,

(ख) ऐसी क्रीड़ाओं में, जो राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम में मान्यताप्राप्त हैं या जो ओलम्पिक्स/एशियन खेलों (एशियाड) खेलों में सम्मिलित हैं, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप के विजेताओं या रनर-अपों,

(ग) ऊपर उल्लिखित क्रीड़ाओं में एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप/ कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल) खेलों में पदक विजेताओं या विजेताओं/रनर-अपों,

(घ) पैरा ओलम्पिक्स के पदक विजेताओं,

पर अनुसूची II में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन 3600/- या उससे अधिक के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

(iii) **प्रवर्ग ग**

(क) राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं (वरिष्ठ),

(ख) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (वरिष्ठ) में उपरोक्त क्रीड़ाओं में पदक विजेताओं या विजेताओं/रनर-अपों,

पर अनुसूची–II में 'विनिर्दिष्ट 3600/– रु. से कम ग्रेड वेतन के पदों और अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः उपरोक्त खेल/चैम्पियनशिप/कप, खेलों के लिए संबंधित अन्तरराष्ट्रीय एसोसिएशन/निकाय/फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त होने चाहिएं।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, खिलाड़ियों द्वारा 01.01.2016 के पश्चात् प्राप्त क्रीड़ा उपलब्धियों पर ही विचार किया जायेगा। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए, पदक विजेता खिलाड़ियों को पदक जीतने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर–भीतर सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को आवेदन करना होगा।

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्ति केवल राजस्थान राज्य के पात्र खिलाड़ियों को ही दी जायेगी।

(4) ऐसे पदक विजेताओं को, जिन्हें इन नियमों के अधीन नियुक्त किया जाता है, उनकी अपनी–अपनी क्रीड़ाओं में खेल जारी रखने और उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और कम से कम 5 वर्ष तक सामर्थ्यकारी वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा और इस कालावधि के दौरान उनके निष्पादन मूल्यांकन को उनकी क्रीड़ा संबंधी उपलब्धियों से जोड़ा जायेगा। अपेक्षानुसार इन खिलाड़ियों को टूर्नामेंटों में भाग लेने, उनमें प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5. पात्र पदक विजेताओं को संबंधित विभाग द्वारा पदों के ऐसे भिन्न–भिन्न प्रवर्गों के पदों पर, जो रिक्त हों, या अपेक्षित प्रवर्ग में सृजित समझे गये नये पदों पर नियुक्त किया जायेगा। ये नये पद

नियमित संवर्ग-संख्या के अतिरिक्त होंगे। ऐसे पात्र पदक विजेताओं को, जो पदों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग पर किसी विभाग में पदग्रहण करते हैं, अपेक्षित वृत्तिक अर्हताओं से छूट दी जायेगी और दी गयी समय सीमा में उनसे विभाग द्वारा विहित विशेष पाठ्यक्रमों/वृत्तिक पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

6. सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा और ऐसे मामलों में सशर्त नियुक्ति दी जा सकेगी किन्तु उस खिलाड़ी को पांच वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर अपेक्षित अर्हताएं अर्जित करनी होंगी जिसमें विफल रहने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

7. न्यूनतम आयु सीमा संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होगी किन्तु कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

8. इन नियमों के अधीन भिन्न-भिन्न पदों पर पदक विजेताओं की नियुक्तियां, अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव, सदस्य के रूप में गृह विभाग के प्रभारी सचिव, मुख्य सचिव द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किसी प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव और सदस्य-सचिव के रूप में प्रमुख सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग से गठित समिति की सिफारिश पर की जायेंगी। समिति की सिफारिश पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी और अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

9. समिति खिलाड़ी को बुलायेगी और उसका वांछित पद पूछेगी और तत्पश्चात् उसकी उपलब्धियों के अनुसार पद प्रस्तावित करेगी।

10. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् उस पद पर उनकी

नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। इन नियमों के अधीन एक ही तारीख को नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता निम्नलिखित क्रम में अवधारित की जायेगी :-

(क) ओलम्पिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता,

(ख) ओलम्पिक खेलों के रजत पदक विजेता,

(ग) ओलम्पिक खेलों के कांस्य पदक विजेता,

(घ) विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता,

(ड) विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता,

(च) विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता,

(छ) एशियन खेलों के स्वर्ण पदक विजेता,

(ज) कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल) खेलों के स्वर्ण पदक विजेता।

यदि दो या अधिक पदक विजेताओं के पास एक ही चैम्पियनशिप में एकसे पदक हैं तो वरिष्ठता उनकी आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी और अधिक आयु वाले को वरिष्ठ माना जायेगा। समान आयु की दशा में वरिष्ठता, उनके नामों के वर्णक्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।

4. शारीरिक उपयुक्तता.- इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और, यदि वह चयनित हो जाये तो उसे, सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित

किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. सुसंगत सेवा नियमों का लागू होगा.– इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्ति सुसंगत सेवा नियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

अनुसूची I
राज्य सेवाएं

क.सं.	सेवा का नाम	पद
1	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	उप–अधीक्षक, पुलिस
2	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	उप–अधीक्षक, कारागार
3	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	सहायक वन संरक्षक
4	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) नियम, 1967	सहायक आबकारी अधिकारी (निवारक)
5	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970	1. प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा 2. कोच
6	राजस्थान होमगार्ड एवं सिविल सुरक्षा सेवा नियम, 1976	उप–समादेष्टा
7	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक

अनुसूची II
अधीनस्थ सेवाएं

क.सं.	सेवा का नाम	पद
1	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II और III
2	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	आबकारी रक्षक
3	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	1. गश्त अधिकारी ग्रेड–II 2. सिपाही
4	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	1. उप–निरीक्षक 2. कांस्टेबल

5	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	1. सहायक जेलर 2. वार्डर
6	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	1. क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I 2. वनपाल 3. वन रक्षक
7	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2015	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II और III

अनुसूची III
लिपिकवर्गीय सेवाएं

क्र.सं.	सेवा का नाम	पद
1	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	लिपिक ग्रेड–II
2	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	लिपिक ग्रेड–II
3	राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम, 1999	लिपिक ग्रेड–II

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

3/7/2017

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

34/2017